भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः 6(346)एसपी/2015/ दिनांकः 17.04.2015

मै0 ——————————————————————
——————————————————————
——————————————————————

विषय : लिमिटेड टेण्डर/पोस्टल कोटेशन आमंत्रित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सक्षम अधिकारी महोदय की ओर से संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई फाईन वूल व अंगोरा फाईबर को निश्चित अनुपात में मिश्रित करते हुए शॉल बनाने से सम्बन्धित कार्य को अनुबन्ध के आधार पर करने हेतु आपकी फर्म/कम्पनी से न्यूनतमदर पर कोटेशन आमंत्रित किये जाते है–

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित मात्रा (किलोग्राम)	दर प्रति ईकाई	दर प्रति ईकाई सभी करों एवं खर्चो सहित (अंको व शब्दों में)
1.	**Scoured Wool Carding and Combing per Kg.**	**1200**	**Per Kg of Combed Silver**	**Rs.____________** **रूपये ______________**
2.	**Angora Wool Blending (30:70) and yarn making to 2/48's Nm**	**400+900=1300**	**Per Kg of Yarn Prepared**	**Rs.____________** **रूपये ______________**
3.	**Yarn dyeing in different colours as per selected designs**	**1170**	**Per Kg of Yarn Dyed**	**Rs.____________** **रूपये ______________**
4.	**Shawl Weaving**	**3000 (nos.)**	**Per Pieces**	**Rs.____________** **रूपये ______________**

कार्य की नियम व शर्ते निम्न प्रकार है–

1. कोटेशन में दर्शायी गई दरें सभी करों एवं खर्चो सहित कम्पनी/गोदाम होनी चाहिए।
2. प्रस्ताव फर्म की निश्चित दरों के आधार पर ही स्वीकार किया जावेगा।
3. प्रस्ताव में केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा आवंटित टेक्स रजिस्ट्रेशन नम्बर/पेन नं. एवं उक्त कार्य से सम्बन्धित सामान पर लगने वाले बिक्रिकर एवं अन्य कर जो भी लागू हो का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। संस्थान द्वारा किसी प्रकार का 'सी' व 'डी' फार्म जारी नहीं किया जावेगा।
4. संस्थान द्वारा एक्साईज ड्यूटी का भूगतान नही किया जाता है। फर्म की प्रार्थना पर एक्साईज ड्यूटी छूट का प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाया जा सकता हैं।
5. कोटेशन में दर्शाई गई दरों की वैधता कोटेशन खोलने की तिथि से 120 दिवस होनी चाहिए।
6. कोटेशन के साथ अमानत राशि ₹20000.00 (बीस हजार रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि आई.सी.ए.आर. यूनिट सी.एस.डब्लू.आर. आई. अविकानगर के नाम से एस.बी.बी.जे. मालपुरा की शाखा मे देय हो संलग्न होना चाहिए।
7. कोटेशन में किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग नही होनी चाहिये, यदि कटिंग/ओवरकटिंग होती हैं तो उसे संबंधित द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिये। असत्यापित संशोधित/ओवरराईटिंग अंक/राशि को स्वीकार नही किया जावेगा।
8. कोटेशन प्राप्त करने की अंतिम तिथि दिनांक **08–05–2015** है इसके उपरान्त प्राप्त कोटेशन पर कोई विचार नही किया जावेगा।
9. कोटेशन बन्द लिफाफे में होना चाहिये तथा कोटेशन का नाम, फा.क्र.6(346)SP/2015/ एवं अन्तिम तिथि **08–05–2015** अंकित होनी चाहिये।
10. **शॉल तैयार करने/बनाने से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी, टी.एम.टी.सी. विभाग के मार्गदशन/निर्देशानुसार किया जावेगा।**
11. धुली हुई ऊन व अंगोरा (रेशें) संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी, जिसका सेमी बस्टेड कताई पद्धती द्वारा 2/48±2 Nm का समिश्रित (70बी.एम. : 30 अंगोरा) धागा बनाना होगा।
12. फर्म को शॉल बनाने हेतु डिजाईनों का चुनाव प्रभारी, टी.एम.टी.सी. विभाग अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि से करवाना होगा।
13. धागें की धुलाई व डिजाईन के अनुरूप रगों में रंगाई करके हैण्डलूम पर लेडिज शॉलों का निर्माण करना होगा। बुने हुये शॉलों का माप लम्बाई – 82"±1 x चौड़ाई 45"±1 तथा वजन 375±25 ग्राम प्रति शॉल होगी। साथ ही शॉल माप/वजन के अनुसार नहीं होने पर बिल में से यथोचित कटौती की जावेगी।

14. फर्म को बुनाई किये हुये अनफर्निश शॉल संस्थान को उपलब्ध करवाने होंगें।
15. फर्म द्वारा प्रभारी, टी.एम.टी.सी. विभाग के निर्देशानुसार वांछित डिजाईन के अनुरूप बुनाई किये हुये अनफर्निश शॉलों को कम्पनी गोदाम से उठाने की जिम्मेदारी संस्थान की होगी तथा इस कार्य में होने वाला समस्त खर्च संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
16. कार्य शीघ्रातिशीध्र अविलम्ब पूरा करना होगा तथा कार्य समय पर पूर्ण न करने पर नियमानुसार Liquidated Damage Clause लागू होगा।
17. सफल कोटेशनदाता को कुल लागत की 10 प्रतिशत राशि जमानत राशि इस संस्थान को जमा कराने के उपरान्त ही आपूर्ति आदेश दिया जावेगा। साथ ही आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त निर्धारित समय में वापस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।
18. भुगतान का बिल 3 प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने के उपरान्त उचित समयावधि 30 दिवस के भीतर–2 किया जावेगा।
19. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा, जो कि दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
20. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी कोटेशनों और आपके पक्ष में जारी अनुबन्ध ओदश को किसी भी समय निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
21. यह सूचना इस संस्थान की वेबसाईट www.cswri.res.in और www.eprocure.gov.in पर भी उपलब्ध है।
22. अनुबन्धकार्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रभारी, टी.एम.टी.सी. विभाग से कार्यालय समय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा दूरभाष नम्बर 01437–220179 पर प्राप्त की जा सकती है।

(आर.ए. साहू)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण :
1. प्रभारी, ए.के.एम. यूनिट को सूचनार्थ एवं संस्थान वेब साईट एवं सी.पी.पी. पोर्टल पर प्रसारण हेतु।
2. प्रभारी, टी.एम.टी.सी. विभाग
3. प्रभारी, एन.टी.आर.एस. गड़सा

मै/हम उपरोक्त सारणी में दर्शायी गई दरों पर संस्थान द्वारा उपलब्ध कराई गई फाईन वूल व अंगोरा फाईबर को निश्चित अनुपात में मिश्रित करते हुए शॉल बनाने से सम्बन्धित कार्य को अनुबन्ध के आधार पर करने हेतु सहमत है तथा कोटेशन में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते (क्रम संख्या 1 से 20 तक) मुझे/हमें स्वीकार है।

दिनांक ————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

बैंक खाता विवरण

पेन नं.

नोटः– लिमिटेड टेण्डर/कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजो की मूल/प्रतिलिपि संलग्न करें–

1. अमानत राशि रूपये 20000.00 बिन्दू क्रमांक 6 में दर्शाये अनुसार
2. फर्म के वेट रजिस्ट्रेशन की प्रतिलिपि
3. फर्म के TIN No. & PAN No. की प्रतिलिपि
4. फर्म के पंजिकरण की प्रतिलिपि
5. फर्म के गत वित्त वर्ष के सालाना टर्न ओवर की प्रतिलिपि
6. फर्म/कम्पनी की टेक्स क्लीरियन्स की प्रतिलिपि